भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1534

जिसका उत्तर सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक) को दिया गया

वारंगल में केन्द्रीय योजनाओं के लाभार्थी

1534. डॉ. कडियम काव्य:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लाभार्थियों/खातों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) वारंगल में पीएमजेडीवाई के अंतर्गत निष्क्रिय/सुप्त खातों सहित खातों की बैंक-वार संख्या कितनी है और पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत दायर किए गए, निपटाए गए और लंबित दावों की वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(ग) वारंगल के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और समयबद्ध शिकायत निवारण को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और खाता सक्रिय करने, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा, बीमा संबंधी जागरुकता और दावा निपटान में सुगमता लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): वारंगल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वारंगल, हनुमाकोंडा, जयशंकर भूपालपल्ली और जंगांव जिले में पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों/खातों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

निम्नलिखित स्थिति के अनुसार	***पीएमजेडीवाई**	**निम्नलिखित स्थिति के अनुसार**	**पीएमजेजेबीवाई**	**पीएमएसबीवाई**
मार्च 23	10,80,291	मई' 23	5,47,416	11,82,316
मार्च' 24	11,76,060	मई ' 24	6,17,639	14,39,067
मार्च 25	12,50,431	मई' 25	7,09,969	15,61,643

**वारंगल, जगांव, जयशंकर भूपालपल्ली, महबूबाबाद और हनुमाकोंडा के आंकड़े शामिल हैं जो पूर्ववर्ती वारंगल जिले का हिस्सा थे।*

(ख): वारंगल जिले में पीएमजेडीवाई खातों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है, तथापि, अपरिचालनीय/निष्क्रिय खातों का बैंक-वार ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। वारंगल जिले में पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत दावों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): शिकायत निवारण तंत्र के लिए, अलग-अलग बैंकों के निदेशक मंडल ग्राहकों की शिकायतों को हल करने के लिए संगठन में उचित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करते हैं। यदि आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कमी से जुड़ी शिकायतों का ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार समाधान नहीं किया जाता है या विनियमित इकाई द्वारा 30 दिनों की अवधि में उत्तर नहीं दिया जाता है, तो ग्राहक "रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021" से संपर्क कर सकता है जो शिकायतों का लागत-मुक्त निवारण उपलब्ध कराता है।

इसके अलावा, वित्तीय समावेशन योजनाओं की पैठ बढ़ाने के उद्देश्य से समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, पीएमजेडीवाई खाते खोलना, पीएमजेडीवाई खातों के लिए केवाईसी का पुन: सत्यापन, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई योजनाओं के अंतर्गत नामांकन शामिल हैं। हाल ही में देश भर में दिनांक 1.7.2025 से 31.10.2025 तक वित्तीय समावेशन के लिए 4 महीने का ग्राम पंचायत संतृप्ति अभियान आयोजित किया गया था। इसके अंतर्गत वारंगल संसदीय क्षेत्र में 1054 शिविर आयोजित किए गए।

*****

अनुबंध I		
क्र. सं.	**बैंक**	**दिनांक 21.1.26 की स्थिति के अनुसार पीएमजेडीवाई खाते**
1	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1,492
2	केनरा बैंक	12,725
3	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	4,038
4	इंडियन बैंक	6,270
5	इंडियन ओवरसीज बैंक	44,766
6	पंजाब एंड सिंध बैंक	100
7	पंजाब नेशनल बैंक	1,543
8	भारतीय स्टेट बैंक	1,46,912
9	यूको बैंक	1,551
10	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	23,562
11	भारतीय स्टेट बैंक (आरआरबी)	40,730
12	एक्सिस बैंक लिमिटेड	906
13	फेडरल बैंक लिमिटेड	190
14	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	670
15	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	5,714
16	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	317
17	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	279
18	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	4,864
19	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	118
20	यस बैंक लिमिटेड	2,765
बैंकों का कुल योग		2,99,512

अनुबंध II						
निम्नलिखित स्थिति के अनुसार	**पीएमजेजेबीवाई**			**पीएमएसबीवाई**		
	प्राप्त हुए	**बसे हुए***	**अवधि के अंत में बकाया**	**प्राप्त हए**	**बसे हुए***	**अवधि के अंत में बकाया**
मई' 2022	3305	3247	34	429	398	31
मई' 2023	3816	3779	12	440	430	10
मई' 2024	3916	3873	17	499	480	19
मई' 2025	3995	3946	23	586	518	68
14.01.2026	4078	4017	35	591	517	74

****निपटाए गए दावे = भुगतान किए गए दावे + अस्वीकृत दावे***